भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2430
06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: असम में संधारणीय कृषि पद्धतियां

2430. श्री गौरव गोगोईः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने असम के चाय बागानों में संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इसमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और सस्ते आयात से घरेलू चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान असम के चाय बागानों को सहायता देने के लिए तैयार की गई विशिष्ट वित्तीय सहायता योजनाओं या बाजार पहुंच पहलों का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और **(ख)**: जी हां, असम के चाय बागानों में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

- असम सरकार ने वर्ष 2022 में असम सीलिंग लैंड होल्डिंग एक्ट 1956 में संशोधन किया है, जिससे चाय बागानों की कुल भूमि का 5% हिस्सा पर्यावरण अनुकूल चाय पर्यटन, कृषि फसलों की खेती, हरित ऊर्जा, बागवानी और पशुपालन के लिए उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी।
- नैनो यूरिया उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया गया है जो पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने की अपनी मजबूत क्षमता के माध्यम से पोषण प्रबंधन में लाभ प्रदान करते हैं। सतत चाय की पत्तियों के सतत उत्पादन के लिए, नैनो यूरिया ने ऊपरी असम क्षेत्र में छोटे चाय उत्पादकों और बड़े चाय बागानों के बीच महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। चाय उत्पादन वर्ष 2023 में, असम में चाय की पत्तियों के उत्पादन में नैनो यूरिया का उल्लेखनीय रूप से उपयोग में लाया गया है।
- ड्रोन आधारित नैनो यूरिया (लिक्विड) उर्वरक का प्रयोग बामगांव टी.ई., सोनाभील टी लिमिटेड, बालीपारा में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बागानों में रसायनों और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को समझाने के लिए नैनो यूरिया (लिक्विड) उर्वरकों के ड्रोन आधारित प्रयोग का प्रदर्शन करना था। यह पाया गया है कि 9.5 एमएल पानी में 4.0% कुल नाइट्रोजन (w/v) युक्त नैनो यूरिया (लिक्विड) उर्वरक के ड्रोन के माध्यम से पत्तियों पर प्रयोग के जरिए सूट के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- असम के चाय बागान क्षेत्रों में भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाली फसलों की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाली फसलों जैसे तेजपुर लीची, काजी नेमू की उचित बाजार हिस्सेदारी है।
- असम के चाय बागान क्षेत्रों की अप्रयुक्त भूमि को चाय बागानों के इको-पर्यटन के लिए चुना गया है।

(ग) और **(घ)**: असम सरकार के वित्त विभाग ने असम राज्य के चाय उद्योग की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए "असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना 2020, ((एटीआईएसआईएस)" शुरू की है। असम सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पारंपरिक और विशेष चाय के उत्पादन की लागत अन्य चाय उत्पादक देशों की तुलना में काफी अधिक है, जो हमारी पारंपरिक चाय को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलाभकारी बनाती है। इसलिए, असम सरकार ने निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक चाय की ओर बढ़ने के लिए "एटीआईएसआईएस, 2020" योजना शुरू की है। इस योजना में निम्नलिखित चार घटक शामिल हैं:

I. घटक I: कार्यशील पूंजी ऋण पर 39% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट। पात्र चाय बागान कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
II. घटक II: ऑर्थोडॉक्स चाय और विशेष चाय का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाई एक वित्तीय वर्ष में निर्मित ऐसी चाय के लिए 7 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी के लिए पात्र है, जिसे वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक चाय उत्पादन के लिए बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
III. घटक III: ऑर्थोडॉक्स या किसी अन्य विशेष चाय के प्लांट और मशीनरी की लागत का 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मद के तहत सब्सिडी प्लांट और मशीनरी की वास्तविक लागत का 25% या 30 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित है।
IV. घटक IV: वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक लागू तीन वर्षीय कृषि आयकर अवकाश को अगले 3 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, भारत में आयातित चाय पर 100% की सीमा तक आयात शुल्क लागू है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल चाय आयात 22.97 मिलियन किलोग्राम होगा जो देश में कुल चाय उत्पादन 1382.03 मिलियन किलोग्राम का केवल 1.66% है।

(ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान असम राज्य में चाय बागानों को चाय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है। चाय बोर्ड अपनी चाय विकास और संवर्धन योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में असम चाय सहित भारतीय मूल की चाय को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, असम से चाय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाय बोर्ड ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा क्रेता-विक्रेता बैठकें, निर्यातक सम्मेलन और असम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम शामिल थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान असम राज्य में चाय बागानों को चाय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	असम में चाय बागानों को वित्तीय सहायता (राशि लाख रुपये में)
2019-20	3166.96
2020-21	5130.98
2021-22	2434.12
2022-23	271.63
2023-24	475.53
